

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.3 (ई) A- लिंक नं. 3834-92/2013/अलेसे-II/478 दिनांक :- 24.09.2025

कार्यालय आदेश

कार्यालय उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, पाली नें पत्रांक 496 दिनांक 01.08.2025, 588 दिनांक 04.09.2025 एवं संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, पाली के पत्रांक 11114 दिनांक 29.07.2025 के अनुसार श्री अशोक कुमार देवडा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नं. 3834) पदस्थापन कार्यालय उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, पाली ने कार्यालय जिला कलक्टर, पाली के आदेश क्रमांक 3495 दिनांक 29.07.2024 की पालना में अपने पद के साथ-साथ संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, पाली के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य दिनांक 13.08.2024 से 29.07.2025 तक संपादित किया है। उपर्युक्त आधार पर श्री अशोक कुमार देवडा को राजस्थान सेवा नियम भाग प्रथम के नियम 35 एवं 50 के अन्तर्गत अधिकतम छः माह की अवधि का स्वयं के मूल वेतन का दो प्रतिशत दोहरा कार्य भत्ता आहरण करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.3 (ई) A- लिंक नं. 3834-92/2013/अलेसे-II/478 दिनांक :- 24.09.2025
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, पाली।
2. कार्यालय उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, पाली।
3. श्री अशोक कुमार देवडा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड II कार्यालय उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, पाली।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक, एसीपी कम्प्यूटर शाखा।
6. पदस्थापन सीट।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)